न्यायालय : अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

(निर्णय दिनांक – 25/05/2024)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 356/2023

CNR No. CGDA05-000364-2023

अपराध क्रमांक – 56/2023

संस्थित दिनांक– 28/08/2023

धारा– 447, 379/511 भा0द0सं0

थाना– किरंदुल

अभियोजन	**छत्तीसगढ़ राज्य** **द्वारा आरक्षी केन्द्र किरंदुल** जिला दंतेवाड़ा (छ0ग0)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री राजकुमार धुर्वे ए0डी0पी0ओ0।

//विरूद्ध//

अभियुक्तगण	**1. राहुल शर्मा, उम्र– 20 वर्ष,** पिता– स्व0 भावनाथ शर्मा, निवासी– पुराना भट्टीपारा किरंदुल, थाना– किरंदुल, जिला– द0ब0 दंतेवाड़ा (छ0ग0) **2. शेख सलीम, उम्र– 22 वर्ष,** पिता– शेख सत्तार, निवासी– धरमपुर कैंप किरदुल, थाना– किरंदुल, जिला– द0ब0 दंतेवाड़ा (छ0ग0)
प्रतिनिधित्वकर्ता	क्र. 01 द्वारा श्री बलबल देशमुख अधिवक्ता। क्र. 02 द्वारा श्री भूपेन्द्र धारगे पैनल अधिवक्ता।

घटना दिनांक	10—11/07/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	11/07/2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	28/08/2023
आरोप विरचना दिनांक	16/01/2024
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	15/02/2024
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	—
निर्णय दिनांक	25/05/2024
दण्डादेश दिनांक, यदि हो तो	—

—: अभियुक्तगण का विवरण :—

क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत दिनांक	आरोपित धारा	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	दंडादेश	अभिरक्षा में व्यतित अवधि
1.	राहुल शर्मा	30.07.2023	04.08.2023	447, 379/511 भा0द0सं0	दोषमुक्ति	निरंक	कुल 05 दिवस
2.	शेख सलीम	30.07.2023	05.09.2023				कुल 37 दिवस
		08.04.2024	25.05.2024				कुल 48 दिवस

—: अनुक्रमणिका :—

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3.	आरोप	3
4.	स्वीकृत तथ्य	—
5.	अभियोजन घटना	3—4
6.	अभियोजन साक्षियों का विवरण	4
7.	अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेज	4
8.	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	5—17
9.	दंडादेश	—

10.	अभिरक्षा अवधि एवं मुजरा (दंडादेश का समायोजन)	17
11.	संपत्ति का निराकरण	17—18
12.	क्षतिपूर्ति आदेश	—
13.	धारा 428 द.प्र.सं का प्रमाणपत्र	19
14.	सजा वारंट (कारावास या जुर्माना)	—
15.	निर्णय की प्रति	—

—:: निर्णय ::—

(दिनांक 25/05/2024 को घोषित)

01/ अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना दिनांक 10—11/07/2023 की रात्रि लगभग 02:45 बजे स्थान— एनएमडीसी परियोजना किरंदुल अंतर्गत थाना किरंदुल, जिला— दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0) के लदान संयंत्र परिसर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने तथा सहअभियुक्त के साथ मिलकर बोलरो कैंपर वाहन क्रमांक सी.जी.—18 एच—0873 में चल संपत्ति— 1 नग लोहे का चैनल, 2 नग लोहे का प्लेट एवं 01 नग लोहे का रद्दी ट्राली (कीमती लगभग 15,000/—रूपये) को प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी करने का प्रयत्न करने के अपराध के लिए धारा 447, 379/511 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा0द0सं0) का आरोप है।

02/ अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक— 10.07.2023 को रात्रि लगभग 02:45 बजे एक बोलेरो कैंपर वाहन क्रमांक— सी0जी0—18—एच—0873 एनएमडीसी परियोजना के लदान संयंत्र परिसर में

बहुत तेजी से प्रवेश की थी। उसके बाद वाहन चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसमें कुछ रद्दी सामान भरा हुआ था। प्रार्थी के. हेमा सुन्दर की उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना किरंदुल में बोलेरो कैंपर वाहन क्रमांक– सी0जी0–18–एच–0873 के अज्ञात चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 56/2023 धारा 457, 380, 511 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नजरी–नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्तगण राहुल शर्मा एवं शेख सलीम के मेमोरण्डम के आधार पर अपराध में उनकी संलिप्तता पाये जाने पर जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही की गई। गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात् आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा– 457, 380, 511, 34 भा0द0सं0 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447, 379/511 भा.द.सं के तहत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किए जाने से इंकार कर विचारण चाहा गया।

04/ विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कुल– 07 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य तथा प्रदर्श पी–01 से प्रदर्श पी–10 तक के दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शांकित कराया गया है।

05/ विचारण के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध आये तथ्यों व परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत्

अभियुक्तगण का परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया।

06/ प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10–11/07/2023 की रात्रि लगभग 02:45 बजे स्थान– एनएमडीसी परियोजना किरंदुल अंतर्गत थाना किरंदुल, जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0) के लदान संयंत्र परिसर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर बोलरो कैंपर वाहन क्रमांक सी.जी. –18 एच–0873 में चल संपत्ति– 1 नग लोहे का चैनल, 2 नग लोहे का प्लेट एवं 01 नग लोहे का रद्दी ट्राली (कीमती लगभग 15,000/–रूपये) को प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी करने का प्रयत्न किया ?

–:: साक्ष्य विवेचन एवं सकारण निष्कर्ष ::–

07/ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा क्रमबंधन बना रहे, इस प्रयोजन से एक–साथ निराकृत किये जा रहे है। इस संबंध में प्रार्थी के. हेमा सुंदर अ.सा.01 का न्यायालयीन साक्ष्य है कि वह, एनएमडीसी परियोजना अंतर्गत लदान

संयंत्र में शिफ्ट इंचार्ज है। पिछले वर्ष 2023 में एक अंजान वाहन लदान संयंत्र परिसर में तेजी से आयी थी, जिसे देखकर उसने सीआईएसएफ वालों को फोन करके उक्त वाहन को रोकने के लिए कहा था। सीआईएसएफ वाले उक्त वाहन का पीछा किये लेकिन वाहन चालक वाहन को कुछ दूर छोड़कर भाग गया था। उसने वाहन के पास जाकर देखा उसमें लोहे का कुछ सामान भरा हुआ था। उसने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना किरंदुल में लिखित शिकायत किया था। लिखित शिकायत प्रदर्श पी–08 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 दर्ज किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले घटना स्थल पर जांच–पड़ताल कर नजरी नक्शा प्रदर्श पी–10 तैयार किये थे, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले घटना स्थल से महेन्द्रा कैम्पर वाहन एवं उसमें भरा लोहे का सामान थाना ले गये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08/ बैरागी बेनिया अ.सा.01, का न्यायालयीन कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। इसी साक्षी का आगे कथन है कि वह एनएमडीसी परियोजना अंतर्गत सिक्युरटी गार्ड का काम करता है। लगभग 01 वर्ष पहले रात्री लगभग 03:00 बजे एनएमडीसी परियोजना के लोड़िंग प्लांट के गेट नंबर–1 पर ड्युटी कर रहा था। लोड़िंग प्लांट के गेट नंबर–2 के गार्ड भुवन सुता ने एक पिकप वाहन को पकड़ा था। गार्ड ने उसे फोन करके बताया तब वह गेट नंबर–2 में गया था। भुवन सुता ने उसे बताया था कि उक्त पिकप

वाहन में तीन व्यक्ति बैठे थे, जोकि वाहन को तेजी से चलाते हुये आ रहे थे, उनके पीछे सीआईएसएफ वाले थे। वे लोग पिकप वाहन को गेट के सामने छोड़कर भाग गये थे। इसी साक्षी का कथन है कि कुछ दिनों बाद थाना किरंदुल से उसे बुलाये थे, पुलिस वाले अभियुक्त राहुल शर्मा को पकड़कर रखे थे, जिसके बारे में उससे पूछताछ किये थे। अभियुक्त राहुल शर्मा किरंदुल का रहने वाला है इसलिए उसे पहचाना था किंतु उसे घटना के दिन नहीं देखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन क्रमशः प्रदर्श पी—01, प्रदर्श पी—02, संपत्ति जप्ती पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी—03, प्रदर्श पी—04, गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी—05, प्रदर्श पी—06 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09/ अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है कि अभियुक्त राहुल शर्मा ने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी—01 के ब से ब एवं स से स भाग का सुसंगत तथा उसके समक्ष पुलिस को दिया था। यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त राहुल शर्मा के बताने के आधार पर बस स्टैंड किरंदुल रॉयल टैवलस काउंटर से एक चाबी उसके समक्ष जप्त किया था। यह भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्त शेख सलीम ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—02 का के ब से ब भाग का सुसंगत कथन उसके समक्ष पुलिस को दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी मेमोरण्डम एवं जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

10/ भुवन सुता अ.सा.07 का न्यायालयीन कथन है कि वह अभियुक्त राहुल शर्मा को नहीं जानता है, अभियुक्त शेख सलीम को जानता है। इसी

साक्षी का आगे कथन है कि वह एनएमडीसी परियोजना किरंदुल में लगभग 16 वर्षो से सुरक्ष गार्ड का काम कर रहा है। पिछले वर्ष घटना के दिन वह एनएमडीसी परियोजना किरंदुल के लोडिंग प्लांट गेट पर ड्यूटी कर रहा था। रात्री लगभग 2:45 बजे वह सो गया था, तभी एक पिकअप वाहन गेट के पास आयी, जिससे उसकी ऑख खुल गयी। कोई व्यक्ति गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने रूकने के लिये कहा और गेट की ओर जाने लगा, तभी उन लोगों ने पिकअप वाहन से गेट को टक्कर मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुलने से पिकअप वाहन को वहीं छोड़कर भाग गये। उनके भागने के बाद उसने पिकअप वाहन को साईड कर ऑफिस के सामने खड़ा किया था। कुछ देर बाद सीआईएसएफ वाले वहॉ आ गये थे। इसी साक्षी का कथन है कि एक दिन बाद पुलिस वाले थाना में बुलाकर घटना के संबंध में पूछताछ किये थे। पुलिस ने कुछ कागजों पर गवाही के लिये उसका हस्ताक्षर लिया था। ममोरेण्डम कथन कमशः प्रदर्श पी–01 के इ से इ, प्रदर्श पी–02 के द से द, संपत्ति जप्ती पत्रक कमशः प्रदर्श पी–03 के द से द, प्रदर्श पी–04, प्रदर्श पी–07 के स से स, गिरफ्तारी पत्रक कमशः प्रदर्श पी–05 प्रदर्श पी–06 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

11/ अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियुक्त राहुल शर्मा द्वारा मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 के ब से ब एवं स से स भाग का सुसंगत कथन उसके समक्ष पुलिस को देने से इंकार किया है। यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त राहुल शर्मा के बताने के आधार

पर बस स्टैंड किरंदुल रॉयल टैवल्स काउंटर से एक चाबी उसके समक्ष जप्त किया था। यह भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्त शेख सलीम ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–02 का ब से ब भाग का कथन उसके समक्ष पुलिस को दिया था। इसके बाद उक्त साक्षी ने मेमोरण्डम एवं जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

12/ शिव प्रताप सिंह अ.सा.04 का न्यायालयीन कथन है कि वह सीआईएसएफ बीआईओएम यूनिट किरंदुल में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। घटना माह जुलाई वर्ष 2023 रात्रि के समय की है। रात्रि लगभग 02–2:30 बजे वह और आरक्षक मनोज कुमार एनएमडीसी लोडिंग प्लांट एरिया में पेट्रोलिंग करके लौट रहे थे, उसी समय लोडिंग प्लांट ऑफिस के पास 2–3 लड़के पिकअप वाहन में स्क्रैप भर रहे थे, जो उन लोगो को आता देख कर पिकअप वाहन से भागने लगे। वे लोग पिकअप वाहन को लोडिंग प्लांट के सामने के गेट में जाकर टक्कर मार दिये और पिकअप वाहन को वहीं छोड़कर भाग गये।

13/ मनोज कुमार अ.सा.05 का न्यायालयीन कथन है कि वह सीआईएसएफ बीआईओएम यूनिट किरंदुल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। घ टना वर्ष 2023 रात्रि के समय की है। रात्रि लगभग 02–2:30 बजे वह और प्रधान आरक्षक शिव प्रताप सिंह एनएमडीसी लोडिंग प्लांट एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय लोडिंग प्लांट के पास कुछ लोग पिकअप वाहन में स्क्रैप भर रहे थे, जो उन्हें आता देख कर पिकअप वाहन को बहुत तेजी से चलाते

हुये भागने लगे। वे लोग पिकअप वाहन को लोडिंग प्लांट के सामने के गेट में जाकर टक्कर मारे लेकिन गेट नहीं खुलने पर पिकअप वाहन को वहीं छोड़कर भाग गये।

14/ तापस नमो अ.सा.02 का न्यायालयीन कथन है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। उसके पास एक मैक्स पिकअप वाहन क्रमांक सीजी–18–एच–0873 है। उक्त वाहन लगभग 05–06 महीने पहले जयगुरू मंदिर बंगाली कैंप के पास से चोरी हो गया था। उसे चोरी के दूसरे दिन किसी व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उक्त वाहन को एनएमडीसी प्लांट के अंदर सीआईएसएफ वाले पकड़े है, तब वह मौके पर गया था। उसकी वाहन में लोहे का स्कैप भरा हुआ था। कुछ दिन बाद थाना किरंदुल में उसे बुलाये थे, तब पता चला कि उसके वाहन को चोरी करने वाले व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़े है। पुलिस वाले वाहन का कागजात वाहन से जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–07 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15/ विवेचनाधिकारी नरेश मंडल अ.सा.06 का न्यायालयीन कथन है कि वह वर्ष 2020 से थाना किरंदुल में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 11.07.2023 को प्रार्थी के. हेमा सुंदर की लिखित शिकायत प्रदर्श पी–08 के आधार पर थाना किरंदुल में पदस्थ उप–निरीक्षक पुष्पसागर बिनायक ने बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी–18–एच–0873 के अज्ञात चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 56/2023 धारा 457, 380, 511 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 के ब से ब भाग पर उप–निरीक्षक

पुष्पसागर बिनायक के हस्ताक्षर है, जिसे वह विभागीय कार्य के अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण पहचानता है।

16/ इसी साक्षी का आगे कथन है कि उक्त प्रकरण की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 12.07.2023 को घटना स्थल एनएमडीसी परियोजना किरंदुल के लदान संयंत्र का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–10 प्रार्थी के बताये अनुसार तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को एनएमडीसी परियोजना किरंदुल के लदान संयंत्र से एक सफेद रंग की महेन्द्रा मैक्स पिकअप वाहन क्रमांक सीजी–18–एच–0873 को क्षतिग्रस्त हालत में एवं उक्त वाहन में भरा लोहे का रद्दी सामान जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को उक्त वाहन का दस्तावेज वाहन स्वामी तापस नमो के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–07 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

17/ इसी साक्षी का अग्रिम कथन है कि दिनांक 30.07.2023 को अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर उनका मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 एवं प्रदर्श पी–02 गवाह भुवन सुता एवं बेरागी बेनीया के समक्ष लेखबद्ध किया था। मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 के द से द एवं मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–02 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त राहुल शर्मा ने अपने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 के ब से ब भाग में बताया था कि ''उक्त वाहन

को मैं चलाते हुये मेरे साथी शेख सलीम के साथ एनएमडीसी परियोजना के लदान संयंत्र परिसर लेजाकर लदान क्षेत्र में रखे लोह के कटिंग पीस को चोरी करने के लिए भर रहे थे उसी समय मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी के द्वारा चिल्लाने पर डर कर वाहन को चाबी लगी छोड़कर शेख सलीम के साथ भाग गये'' एवं स से स भाग ''दूसरी चाबी जिससे मैं वाहन को चालू करने का प्रयास किया था उसे बस स्टेंड काउंटर में रखा हूँ, चलो मैं चल कर बरामद करा देता हूँ''। उसने दिनांक 30.07.2023 को ही अभियुक्त राहुल शर्मा के पेश करने पर बस स्टेंड किरंदुल के रॉयल ट्रेव्लस काउंटर से एक चाबी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–04 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18/ इसी साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त शेख सलीम ने अपने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–02 के ब से ब भाग में बताया था कि ''दूसरी चाबी जिससे राहुल शर्मा वाहन को चालू करने का प्रयास किया था, उसे अपने पास रखा है''। उसी दिनांक को अभियुक्तगण को विधिवत् गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी–05, प्रदर्श पी–06 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान गवाहों का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने विवेचना कार्यवाही के खंडन में दिये गये सुझावों को अस्वीकार किया है।

19/ अभियोजन के मामले के अनुसार, अभियुक्तगण एनएमडीसी परियोजन किरंदुल लदान संयंत्र परिसर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर

आपराधिक अतिचार कर बोलेरो कैंपर वाहन क्रमांक सी.जी.—18—एच—0873 में लोहा भरकर चोरी करने का प्रयत्न किया था। प्रार्थी के. हेमासुंदर अ.सा.03 का अभिसाक्ष्य है कि घटना दिनांक की रात्रि 2—2:30 बजे एनएमडीसी लोडिंग प्लांट एरिया में एक पिकअप वाहन बहुत तेजी से आयी, जिसे रोकने के लिए उसने सीआईएसएफ वालो को फोन करके कहा था। शिव प्रताप सिंह अ.सा.04 एवं मनोज कुमार अ.सा.05, जो कि सीआईएसएफ बीआईओएम यूनिट किरंदुल में प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक है, ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि रात्रि के समय 2—3 लड़के लोडिंग प्लांट एरिया में पिकअप वाहन में स्क्रैप भर रहे थे, जो उन्हें आते देखकर पिकअप वाहन से तेजी से भागे थे, जिसका उन लोगों ने भी पीछा किया था लेकिन पिकअप वाहन से लोंडिग प्लांट के गेट को टक्कर मारकर वाहन छोड़कर भाग गये थे।

20/ भुवन सुता अ.सा.07, जो कि एमएमडीसी लोडिंग प्लांट गेट का सुरक्षा गार्ड है, ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि कुछ लोग एक पिकअप वाहन से लोडिंग प्लांट गेट को टक्कर मारकर खोलने की कोशिश किये किन्तु गेट नहीं खोलने पर वाहन वहीं छोड़कर भाग गये थे। बैरागी बेनिया अ.सा.01 का कथन है कि भुवन सुता अ.सा.07 से जानकारी मिलने पर वह गेट नंबर—1 पर गया था, जहॉ पिकअप वाहन खड़ी थी, जिसमें लोहे का सामान भरा था। तापस नमो अ.सा.02 का भी साक्ष्य है कि उक्त पिकअप वाहन उसकी है, जोकि लगभग 5—6 महिने पहले चोरी हो गयी थी तथा एनएमडीसी प्लांट के अंदर सीआईएसएफ द्वारा उक्त वाहन को पकड़े जाने की सूचना मिलने पर मौके पर

जाना बताया है। विवेचना अधिकारी नरेश मंडल अ.सा.06 ने प्रार्थी के. हेमा सुंदर की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–08 के आधार पर दिनांक 11.07.2023 को थाना किरंदुल में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 दर्ज किये जाने की पुष्टि की है तथा दिनांक 12.07.2023 को घटनास्थल से उक्त महेन्द्रा मैक्स पिकअप वाहन क्रमांक सी.जी.–18 एच–0873 एवं लोहे का रद्दी सामान जप्त करना बताया है। घटना के संबंध में साक्षियों का उपरोक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है। इस प्रकार खंडन के अभाव में यह संदेह से परे साबित होता है कि घटना दिनांक 10–11/07/2023 की रात्रि में एनएमडीसी लदान संयंत्र से पिकअप वाहन क्रमांक सी.जी.–18 एच–0873 में लोहा चोरी करने का प्रयास किया गया था।

21/　　　अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त वाहन में लोहा चोरी करने का प्रयत्न किया गया था ? प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 बोलेरो कैम्पर वाहन क्रमांक सी.जी.–18 एच–0873 के अज्ञात चालक के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। बैरागी बेनिया अ.सा.01 का अभिसाक्ष्य है कि भुवन सुता अ.सा.07 ने उसे बताया था कि पिकअप वाहन में तीन व्यक्ति बैठे थे जबकि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पिकअप वाहन में कौन व्यक्ति बैठे थे, वह नहीं जानता है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा चोरी करने का प्रयत्न करने का तथ्य साबित करने के लिए अभिलेख पर प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अवलंबित है।

22/ अभियोजन का मामला केवल अभियुक्तगण के मेमोरण्डम कथन पर आधारित है। विवेचना अधिकारी नरेश मंडल अ.सा.06 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने का प्रयास किया है कि अभियुक्त राहुल शर्मा एवं शेख सलीम ने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 एवं प्रदर्श पी–02 में बताया है कि वह और अभियुक्त शेख सलीम लदान क्षेत्र से लोहे का कटिंग पीस चोरी करने के लिए भर रहे थे, उसी समय सुरक्षाकर्मी के चिल्लाने पर डर कर वाहन चाबी लगी छोड़कर भाग गये थे, दूसरी चाबी जिससे उसने वाहन को चालू करने का प्रयास किया था, उसे जप्त किया गया है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् किसी अभियुक्त का पुलिस की अभिरक्षा में किये गये कथन का उतना भाग ही सुसंगत है, जिससे किसी तथ्य का पता चल सके। इस प्रकार मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–01 के ब से ब भाग का कथन ''उक्त वाहन को मैं चलाते हुये मेरे साथी शेख सलीम के साथ एनएमडीसी परियोजना के लदान संयंत्र परिसर लेजाकर लदान क्षेत्र में रखे लोह के कटिंग पीस को चोरी करने के लिए भर रहे थे उसी समय मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी के द्वारा चिल्लाने पर डर कर वाहन को चाबी लगी छोड़कर शेख सलीम के साथ भाग गये'' तथ्य के प्रकटीकरण की ना होकर अपराध की स्वीकारोक्ति होना प्रकट होता है, जो कि धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् साक्ष्य में अग्राह्य है।

23/ जहॉ तक किसी तथ्य का पता चलने का प्रश्न है, अभियुक्त राहुल शर्मा से एक चाबी जप्त की गयी है, जिसका भी समर्थन मेमोरण्डम एवं जप्ती के साक्षी बैरागी बेनिया अ.सा.01 एवं भुवन सुता अ.सा.02 ने नहीं किया

है। अभियुक्त राहुल शर्मा से एक चाबी जप्त किये जाने के आधार पर उक्त अपराध उनके द्वारा किया जाना संदेह से परे नहीं होता है। अभियुक्तगण को घटना के समय घटनास्थल या उसके आस–पास देखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण का मेमोरण्डम कथन घटना के लगभग 20 दिन बाद लिया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्थिति में साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण हो चाहिए। प्रकरण में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि उक्त चाबी उसी पिकअप की है क्योंकि वाहन मालिक तापस नमो अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष का सुझाव स्वीकार किया है कि चोरी के दिन उसके ड्रायवर ने वाहन लॉक कर चाबी उसे दे दिया था। इस प्रकार एक चाबी की जप्ती अभियुक्तगण के विरूद्ध उपधारणा का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर मेमोरण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अतिचार कर उक्त पिकअप से लोहा चोरी करने का तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं होता है। विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष **''नासाबित''** में दिया जाता है।

24/ उपरोक्त साक्ष्य एवं विचारणीय प्रश्नों के निष्कर्ष के आधार पर यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 10–11/07/2023 की रात्रि लगभग 02:45 बजे स्थान– एनएमडीसी परियोजना किरंदुल अंतर्गत थाना किरंदुल, जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0) के लदान संयंत्र परिसर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने तथा सहअभियुक्त के साथ मिलकर बोलरो कैंपर वाहन

क्रमांक सी.जी.–18 एच–0873 में चल संपत्ति 1 नग लोहे का चैनल, 2 नग लोहे का प्लेट एवं 01 नग लोहे का रद्दी ट्राली (कीमती लगभग 15,000/–रूपये) को प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी करने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप **अभियुक्तगण राहुल शर्मा एवं शेख सलीम** को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये **धारा 447, 379/511 भा.द.सं.** के आरोपों से **दोषमुक्त** कर प्रकरण से उन्मुक्त किया जाता है।

25/ अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधी के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं के तहत् पृथक से निरोध तालिका बनायी गयी है, जो कि निर्णय का भाग होगा।

26/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत/बंधपत्र धारा 437–क द.प्र.सं के परिपालन में निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

27/ प्रकरण में जप्त वाहन सीजी–18–एच–0873 मय दस्तावेज वाहन स्वामी को सुपुर्दनामा पर दिया गया है। अतः अपील अवधि उपरांत उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में भारमुक्त समझा जावे। जप्त चाबी मूल्यहीन होने से विधिनुसार नष्ट किया जावे। जप्त लोहे के स्क्रैप के संबंध में विचारण के दौरान किसी व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः दावा किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वापस किया जावे, अदावाकृत रहने की दशा में अपील अवधि उपरांत कबाड़ में विक्रय कर प्राप्त राशि शासन के पक्ष में राजसात किया जावे।

अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/—

(अविनाश कुमार दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बचेली, जिला— द0ब0 दंतेवाड़ा (छ0ग0)

दा0प्र0क0—356/2023
छ0ग0 राज्य विरूद्ध राहुल शर्मा व अन्य

न्यायालय : अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला—दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

प्रमाण—पत्र

(अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0)

क्रं.	अभियुक्तगण	धारा	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत दिनांक	अभिरक्षा में व्यतित अवधि
01	**राहुल शर्मा, उम्र— 20 वर्ष,** पिता— स्व0 भावनाथ शर्मा, निवासी— पुराना भट्टीपारा किरंदुल, थाना— किरंदुल, जिला— दंतेवाड़ा (छ0ग0)	447, 379/511 भा0द0सं0	30.07.2023	04.08.2023	कुल 05 दिवस
02	**शेख सलीम, उम्र— 20 वर्ष,** पिता— शेख सत्तार, निवासी— धरमपुर कैंप किरंदुल, थाना— किरंदुल, जिला— दंतेवाड़ा (छ0ग0)		30.07.2023	05.09.2023	कुल 37 दिवस
			08.04.2024	25.05.2024	कुल 48 दिवस

सही/—

(अविनाश कुमार दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बचेली, जिला— द0ब0 दंतेवाड़ा (छ0ग0)